न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास डॉ0 वीना प्रधान, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या 32/17 (2017/00069)/अजमेर

1. गबरू पुत्र श्री भारमल
2. ओम प्रकाश पुत्र श्री भारमल
3. शंकर पुत्र श्री भारमल
4. शिवराज पुत्र श्री भारमल
5. बुद्धाराम पुत्र श्री हरजी
6. सुखदेव पुत्र श्री हरजी
7. सुखपाल पुत्र श्री हरजी

समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम दौराई तहसील व जिला अजमेर।

———अपीलार्थीगण

बनाम

1. धर्मेन्द्र कुमार पुत्र श्री बाबूलाल दग्दी,
2. शैलेन्द्र कुमार पुत्र श्री बाबूलाल दग्दी
3. आनन्दी लाल पुत्र श्री बाबूलाल दग्दी
4. श्रीमती दमीयन्ती बेवा श्री पूनमचन्द
5. दीपक पुत्र श्री पूनमचन्द
6. ममता पुत्री श्री पूनमचन्द
7. मनीषा पुत्री श्री पूनमचन्द
8. डिम्पल पुत्री श्री पूनमचन्द

समस्त जाति दग्दी माली निवासीगण भजनगंज अजमेर जरिये मुख्त्यारआम उमेश पुत्र श्री बाबूलाल जाति माली निवासी मकान नम्बर 782/41 भजनगंज 9 नं0 पेट्रोल पम्प के पास अजमेर

9. तहसीलदार, अजमेर

———प्रत्यर्थीगण

———

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, अजमेर केम्प कोर्ट ग्राम पंचायत तबीजी दिनांक 04–07–2016 अन्तर्गत राजस्व प्रकरण संख्या 68/2015 बउनवान धर्मेन्द्र कुमार बनाम गबरू

———

उपस्थित– 1. श्री लेखू मंघानी, अभिभाषक अपीलार्थीगण
2. एस.पी.चौधरी अभिभाषक प्रत्यर्थीगण

Scanned with CamScanner

निर्णय

दिनांकः-21-10-2021

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थीगणों द्वारा ग्राम दौराई तहसील व जिला अजमेर में खाता संख्या 378 में स्थित भूमि का खाता दुरूस्त कराये जाने हेतु राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत लोक अदालत केम्प कोर्ट ग्राम पंचायत तबीजी में एक प्रार्थना पत्र अध्यक्ष लोक अदालत एवं उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे उन्होंने अपने आदेश दिनांक 4–7–2016 द्वारा स्वीकार कर प्रत्यर्थीगणों के नाम वर्तमान अशुद्ध प्रविष्ठि को शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश पारित कर दिये। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

अपील Subject-to-limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनो पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

अभिभाषक अपीलार्थीगण द्वारा मियाद अधिनियम की धारा–5 पर अपीलार्थीगण की ओर से पक्ष रखते हुए कथन किया गया कि उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के आदेश दिनांक 4–7–2016 की प्रथम जानकारी अपीलार्थीगण को दिनांक 12–1–2017 को तब हुई जब प्रत्यर्थीगण के वकील ने दिनांक 11–1–2017 को अपीलार्थीगण को केविएट प्रर्थना पत्र की सूचना जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. से दी। अपीलार्थीगण को जैसे ही दिनांक 12–1–2017 को उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–7–2016 की जानकारी हुई अपीलार्थीगण ने उक्त आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु दिनांक 13–1–2017 को प्रार्थना पत्र पेश किया। उक्त आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 18–1–2017 को प्राप्त हुई। इसके पश्चात अभिभाषक से सलाह लेकर अन्दर मियाद न्यायालय हाजा के समक्ष यह अपील पेश की जा रही है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थीगण के अधिवक्ता की मियाद के बिन्दु पर बहस का जवाब देते हुए निवेदन किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा–5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे। मियाद हेतु छूट चाहने बाबत कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया गया है। मियाद में छूट चाहने बाबत ठोस कारण अंकित करने चाहिए थे। मियाद में छूट चाहने हेतु प्रतिदिन बाबत संतोषजनक कारण अंकित किया जाना चाहिए। इस प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद के छूट के प्रार्थना पत्र

Scanned with CamScanner

में ऐसा नहीं किया गया है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण के मियाद के बिन्दु पर दिये गये तर्कों तथा प्रत्यर्थीगण अभिभाषक के जवाब पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल द्वारा समय–समय पर प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अभिभाषक अपीलार्थीगण द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए बहस के दौरान कथन किया कि ग्राम दौराई पटवार क्षैत्र दौराई तहसील अजमेर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 2496 रकबा 04 बीघा 04 बिस्वा 10 बिस्वांसी व खसरा नम्बर 966 रकबा 08 बीघा 07 बिस्वा 10 बिस्वांसी राजस्व रेकार्ड में अपीलार्थीगण के पिता/दादा बालू पुत्र उरजा कौम जाट की खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। तहसीलदार, अजमेर ने अपने आदेश दिनांक 23–1–1968 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 के तहत बालू वल्द उरजा को उक्त अपीलाधीन भूमि का खातेदार घोषित किया। इस आदेश की पालना में नामान्तरकरण संख्या 639 बालू वल्द उरजा के पक्ष में स्वीकार हुआ। इसके पश्चात वर्किंग जमाबंदी में भी क्रम संख्या 25 पर बालू वल्द उरजा का नाम बहैसियत खातेदार दर्ज किया गया।

दौराने बहस उन्होंने यह भी कथन किया कि भू–संशोधन 1970 के अनुसार खसरा नम्बर 966 रकबा 8 बीघा 7 बिस्वा 10 बिस्वांसी के नये खसरा नम्बर 998, 1000, 2551 बने है। खसरा नम्बर 2016 रकबा 0.06 हेक्टर, खसरा नम्बर 2017 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 2018 रकबा 0.52 हेक्टर, खसरा नम्बर 2047/3378 रकबा 0.22 हेकटर, खसरा नम्बर 2388/3377 रकबा 0.20 हेक्टर, खसरा नम्बर 2402/3379 रकबा 0.06 हेक्टर, खसरा नम्बर 2473 रकबा 0.26 हेक्टर कुल रकबा 1.36 हेक्टर बने है। भू–प्रबन्ध विभाग ने प्रमाणक के लिए परचा नोटिस जो जारी किया गया उसमें उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि का खातेदार बालू पुत्र उरजा कौम जाट साकिन देह बहैसियत खातेदार दर्ज किया गया। इसके पश्चात जमाबंदी सम्वत 2065 से 2084 में उक्त वर्णित खसरा नम्बरों के खातेदार बालू पुत्र उरजा कौम जाट साकिन देह, का नाम खातेदार के रूप में दर्ज किया गया।

उनका यह भी कथन है कि जमाबंदी सम्वत 2065–84 में अपीलार्थीगण के दादाजी का नाम बहैसियत खातेदार दर्ज होने के पश्चात वर्तमान प्रत्यर्थीगण ने एक प्रकरण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के न्यायालय में पेश किया। इस प्रकरण में बालू पुत्र

Scanned with CamScanner

उरजा के वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया गया एवं ना ही सुनवाई का अवसर दिया गया। उक्त प्रकरण का निस्तारण लोक अदालत दौराई में दिनांक 4–7–2016 को कर दिया गया। उक्त आदेश से उक्त खसरा नम्बरों की कुल 1.36 हेक्टर भूमि वर्तमान प्रत्यर्थीगण के नाम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

अपीलार्थीगण के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश विधिवत रूप से पारित नही कर एक प्रशासनिक आदेश है। प्रश्नगत आदेश आख्यात्मक आदेश (Speaking order) नहीं है। इसमें दोनों पक्षकारों के नाम अंकित नहीं है। उक्त आदेश निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है उक्त प्रकरण में कौनसी तारीख पेशी पर कौनसे पक्षकार व उनके वकील उपस्थित थे पक्षकारों के वकीलों की बहस का भी उल्लेख नहीं है। इस प्रकार यह आदेश विधिक प्रकिया अपनाये बिना पारित किया गया है जो प्रारम्भ से ही शून्य होने से निरस्त योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि राज्य सरकार ने लोक अदालतों में उन्हीं पक्षकारों के प्रकरणों को सुनवाई के लिए निर्धारित करने के निर्देश दिये है जहां दोनों पक्षकार अपनी सहमति से प्रकरण का निस्तारण कराना चाहते है। इस प्रकरण में तो खातेदारों या उनके वारिसानों को पक्षकार तक नहीं बनाया गया है एव ना ही उन्हें सुनवाई का अवसर ही दिया गया है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 4–7–2016 बालू पुत्र उरजा जाति जाट के विरूद्ध पारित किया गया है। बालू पुत्र उरजा का देहान्त वर्षो पूर्व हो चुका है। इसलिए अधीनस्थ न्यायलय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित किया गया है। मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित आदेश प्रारम्भ से ही शून्य होने से निरस्तनीय है।

अपीलार्थीगण के अधिवक्ता का यह भी कथन है कि विवादित आराजियात बाबत उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के न्यायालय में इन्हीं खसरा नम्बरों के संबंध में एक वाद संख्या 159/2011 उनवानी हरजी बनाम औसाफ अली विचाराधीन है। यदि इसी भूमि के बारे में प्रत्यर्थीगण को कोई अनुतोष लेना था तो इस वाद में पक्षकार बनकर अनुतोष प्राप्त कर सकते थे। उन्हें धारा 136 के तहत अलग से दावा पेश करने की आवश्यकता नहीं है। अलग से जो दावा पेश किया गया है वह सीपीसी की धारा 10 व 11 के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है।

उनका यह भी कथन है कि विवादित आराजियात बाबत उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के न्यायालय में दावा संख्या 159/2011 हरजी बनाम औसाफ अली प्रस्तुत होने पर उसमें अंकित तथ्यों के आधार पर भू–प्रबन्ध विभाग ने राजस्थान भू–राजस्व नियम 21 (2) के अन्तर्गत प्रमाणक के लिए पर्चा नोटिस जारी किया गया कि ग्राम दौराई स्थित आराजी खसरा नम्बर 2016, 2017, 2018, 2473, 2388/3377, 2047/2861, 3378, 2402/3379 कुल रकबा 1.36 हैक्टर

Scanned with CamScanner

भूमि बालू वल्द उरजा कौम जाट के नाम दर्ज कर दी। इस प्रकार भू–प्रबन्ध विभाग ने दिनांक 23–1–1968 की स्थिति को बहाल कर दिया और राजस्व विभाग ने जमाबंदी सम्वत 2065–2084 में उक्त वर्णित भूमि बालू पुत्र उरजा जाट की खातेदारी में दर्ज कर दी। इस प्रकार भू–प्रबन्ध विभाग व राजस्व विभाग ने त्रुटि को सुधार कर राजस्व रेकार्ड में सही अंकन किया था। परन्तु उपखण्ड अधिकारी अजमेर ने उक्त सभी दस्तावेजी प्रमाणों को दरकिनार करते हुए मूल खातेदारों को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही जमाबंदी के इन्द्राजों को निरस्त करने में भारी भूल की है।

अपीलार्थीगण के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के प्रावधानों के तहत राजस्व रेकार्ड में लिपिकीय त्रुटि से यदि कोई त्रुटि हुई है तो उसे सुधारने की व्यवस्था है। प्रस्तुत प्रकरण में सेटलमेंट विभाग ने दिनांक 23–1–1968 में अंकित राजस्व रेकार्ड में जो त्रुटि हुई थी उसे लैण्ड रेकार्ड रूल्स के नियम 21 के तहत विधिवत रूप से प्रमाणक के रूप में नोटिस जारी किया और उसके पश्चात सैटलमेंट पर्चा बनाया। भू–प्रबन्ध विभाग की उक्त कार्यवाही के पश्चात ही राजस्व विभाग ने जमांबंदी सम्वत 2065–2084 में बालू पुत्र उरजा का नाम खातेदारी में दर्ज किया है। इस प्रकार विधि के अनुसार की गई कार्यवाही को धारा 136 के तहत संशोधित नहीं किया जा सकता है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–7–2016 प्रकरण संख्या 68/2015 बउनवान धर्मेन्द्र कुमार बनाम गबरू निरस्त किया जाने एवं ग्राम दौराई तहसील अजमेर की जमाबंदी सम्वत 2065–2085 में वर्णित बालू पुत्र उरजा कौम जाट साकिन देह के इन्द्राजों को यथावत कायम रखे जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि प्रत्यर्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर के न्यायालय में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 व 88 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत किया जिसमें भू–संशोधन के दौरान खसरा नम्बर 1000 जो कि पूर्व में मु0 हुसैन व मुर्तजा हुसैन की खातेदारी में दर्ज था जिसे गलत तौर पर सेटलमेंट कर्मचारियों ने सिवायचक दर्ज कर दिया था जिस पर मु0 हुसैन व मुर्तजा हुसैन के वारिस श्री सैयद औसाफ अली उर्फ जुन्नू पुत्र श्री सैयद हसन जाति मुसलमान ने एक प्रार्थना पत्र वास्ते इन्द्राज दुरूस्ती हेतु सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी अजमेर के समक्ष दिनांक 25–10–1985 को प्रस्तुत किया जिसका निर्णय दिनांक 15–10–1986 को किया जाकर रेकार्ड को दुरूस्त करते हुए खसरा नम्बर 1000 की कुल 6 बीघा 1 बिस्वा भूमि वाके ग्राम दौराई औसाफ अली पुत्र सैयद हसन जाति मुसलमान के नाम नामान्तरकरण संख्या 102 दिनांक 6–2–1992 को तस्दीक किया गया व औसाफ अली पुत्र श्री सैयद हुसैन ने उक्त आराजी में से एक बेचाननामा प्रत्यर्थीगण धर्मेन्द्र कुमार, शैलेन्द्र कुमार एवं आन्दी लाल व पूनम चन्द के नाम

Scanned with CamScanner

25000/– रूपये में 12 बिस्वा 17 बिस्वांसी भूमि जिसकी सीमा बेनामे में से दर्ज होकर पूर्व में जान मोहम्मद की भूमि पश्चिम में इसी खसरा नम्बर की भूमि का भाग व उत्तर में इसी खसरा नम्बर का बचा हुआ भाग व दक्षिण में बाई पास रोड़ परबतपुरा से ब्यावर रोड की ओर की भूमि का बेचान कर कब्जा संभला दिया व इसी बेनामे के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 1565 दिनांक 6–1–2014 के अनुसार औसाफ अली के स्थान पर क्रेता पूनमचन्द धर्मेन्द्र कुमार, शैलेन्द्रकुमार, आनन्दीलाल पिता श्री बाबूलाल जाति दग्दी माली निवासी भजनगंज अजमेर के नाम दर्ज कर वर्किंग जमाबंदी में नोट लगाया गया व तत्पश्चात पूनमचन्द पुत्र बाबूलाल का देहान्त होने पर नामान्तरकरण संख्या 1566 दिनांक 6–1–2014 द्वारा मृतक पूनमचन्द के वारिसान दमीयन्ती, दीपक, ममता, मनीषा डिम्पल के नाम खातेदारी दर्ज करने का नामान्तरकरण तस्दीक कर वर्किंग जमाबंदी में नोट लगाया गया। बरवक्त खरीद से प्रत्यर्थीगण उक्त खरीदशुदा आराजी पर लगातार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है किन्तु गत खसरा नम्बर 1000 के नये खसरा नम्बर 2018, 2047/3378, 2402/3379, 2273 कायम किये जाकर गलत तौर पर बिना किसी आधार के अपीलार्थीगण के दादा बालू पुत्र श्री उरजा जाट के खाते में जमाबंदी सम्वत 2065 से 2084 में दर्ज कर दिये गये जिसकी दुरूस्ती हेतु उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उपखण्ड अधिकारी, अजमेर ने दस्तावेजात का अवलोकन कर बालू पुत्र उरजा जाति जाट के पक्ष में हुए गलत इन्द्राज को प्रत्यर्थीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिनांक 4–7–2016 को पारित किये है जो विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थीगण की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन कर संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे यह तथ्य स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण की खातेदारी का रकबा भू–प्रबन्ध विभाग की एन्ट्री से पूर्व क्या था तथा बाद में क्या अंकन किया गया इसकी राजस्व अभिलेख से पूर्ण जांच तहसीलदार अजमेर से करवाई गई थी। तहसीलदार, अजमेर ने उनके पत्र दिनांक 27–6–2016 के अंतिम पैरा में अंकित किया है कि भू–प्रबन्ध विभाग से प्राप्त मिसल में उक्त खसरा नम्बर 1000 के नवीन खसरा नम्बर 2018 रकबा 0.52 हैक्टर, खसरा नम्बर 2388/3377 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 2402/3379 रकबा 0.06 हैक्टर, 2473 रकबा 0.26 हैक्टर, खसरा नम्बर 2047/3378 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 2047/3417 रकबा 0.01 हेक्टर पर बालू वल्द उरजा जाट के नाम दर्ज होकर प्राप्त हुए है। मौके पर प्रार्थी का कब्जा है भूमि रिक्त पडी है तथा काश्त की जा रही है। तहसीलदार, अजमेर द्वारा रिपोर्ट में यह भी अंकित किया है कि वर्तमान जमाबंदी में दर्ज खातेदार बालू वल्द उरजा कौम जाट को पक्षकार बनाया जाकर सुना जाना अपेक्षित है। प्रत्यर्थीगण द्वारा उक्त इन्द्राज दुरूस्ती धारा 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत करवाने हेतु प्रार्थना पत्र अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के समक्ष

Scanned with CamScanner

प्रस्तुत किया गया जबकि उक्त धारा 136 के अन्तर्गत एक सीमित क्षैत्राधिकार सक्षम अधिकारी को दिये गये है जिसके अन्तर्गत राजस्व रेकार्ड में हुई लिपीकीय त्रुटि जो कि दोनों पक्ष की सहमति से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दुरूस्त करवाई जा सकती है। प्रस्तुत प्रकरण में दूसरा पक्ष उपस्थित नहीं है तथा उसे पक्षकार ही नहीं बनाया गया है। साथ विवादित आराजियात बाबत एक वाद संख्या 159/2011 उनवान हरजी बनाम औसाफ अली विचाराधीन है यदि इसी भूमि बाबत प्रत्यर्थीगणको कोई अनुतोष लेना था तो वे इस वाद में पक्षकार बनकर अनुतोष प्राप्त कर सकते थे।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि भू–प्रबन्ध विभाग ने राजस्थान भू–राजस्व नियम 21 (2) के अन्तर्गत प्रमाणक के लिए पर्चा नोटिस जारी किया गया कि ग्राम दौराई स्थित आराजी खसरा नम्बर 2016, 2017, 2018, 2373, 2388/3377, 2047/2861, 3378, 2402/3379 कुल रकबा 1.36 हैक्टर भूमि बालू वल्द उरजा कौम जाट के नाम दर्ज कर दी। इस प्रकार भू–प्रबन्ध विभाग ने दिनांक 23–1–1968 की स्थिति को बहाल कर दिया और राजस्व विभाग ने जमाबंदी सम्वत 2065–2084 में उक्त वर्णित भूमि बालू पुत्र उरजा जाट की खातेदारी में दर्ज कर दी। इस प्रकार भू–प्रबन्ध विभाग व राजस्व विभाग ने त्रुटि को सुधार कर राजस्व रेकार्ड में सही अंकन किया था। परन्तु उपखण्ड अधिकारी अजमेर ने उक्त सभी दस्तावेजी प्रमाणों को दरकिनार करते हुए मूल खातेदारों अथवा उनके वारिसानों को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही जमाबंदी के इन्द्राजों को धारा 136 के अन्तर्गत निरस्त कर राजस्व रेकार्ड में शुद्धिकरण के आदेश पारित कर दिये जबकि राजस्व रेकार्ड में शुद्धिकरण के आदेश दावे में पारित निर्णय के अनुसार ही किया जा सकता है, धारा 136 के अन्तर्गत केवल लिपिकीय त्रुटि को ही दुरूस्त किया जा सकता है खातदारी परिवर्तन का अधिकार केवल दावे में पारित निर्णय अनुसार ही होता है जबकि इस प्रकरण में समस्त कार्यवाही एक पक्षीय किया जाना स्पष्ट है क्योंकि अपीलार्थीगण को अपीलाधीन आदेश के प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है जबकि वे प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार होने से उन्हें पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था। अपीलार्थीगण को उक्त संशोधन आदेश पारित किये जाने से पूर्व पूर्ण सुनवाई व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर ही प्रदान नहीं किया गया और उसकी खातेदारी भूमि से खातेदारी अधिकार समाप्त कर राजस्व रेकार्ड में संशोधन करने के एक पक्षीय आदेश (आख्यात्मक आदेश/Non Speaking) पारित कर दिये गये जो विधि विरूद्ध होकर न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत भी है इसलिए अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर का आदेश दिनांक 4–07–2016 त्रुटिपूर्ण होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार अपीलार्थीगण की यह अपील स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय अध्यक्ष, लोक अदालत एवं उपखण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा केम्प कोर्ट ग्राम पंचायत तबीजी में पारित आदेश दिनांक 4–7–2016 अन्तर्गत प्रकरण संख्या 68/2015 बउनवानी धर्मेन्द्र कुमार

Scanned with CamScanner

बनाम गबरू त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा ग्राम दौराई तहसील अजमेर की वर्तमान जमाबंदी खसरा नम्बर 2016 रकबा 0.06 हेक्टर, खसरा नम्बर 2017 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 2018 रकबा 0.52 हेक्टर, खसरा नम्बर 2047/3378 रकबा 0.22 हेक्टर, खसरा नम्बर 2388/3377 रकबा 0.20 हेक्टर, खसरा नम्बर 2402/3379 रकबा 0.06 हेक्टर, खसरा नम्बर 2473 रकबा 0.26 हेक्टर कुल रकबा 1.36 हेक्टर पर प्रत्यर्थीगण के स्थान पर बालू पुत्र उरजा कौम जाट साकिन देह के इन्द्राजों को यथावत बहाल किया जाता है तथा उपखण्ड अधिकारी, अजमेर व तहसीलदार, अजमेर को आदेशित किया जाता है कि न्यायालय हाजा के इस निर्णय की पालना सुनिश्चित करे।

Scanned with CamScanner